समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–89/पं0, दिनांक–13.02.2014 के द्वारा श्री तारकेश्वर सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय धरहरा द्वारा सदर प्रखंड में अपने पदस्थापन अवधि (वर्ष 2005–06 से 2008–09 के बीच विभिन्न मदों की कुल छः योजना में कुल 11,59,495.00 (ग्यारह लाख उनसठ हजार चार सौ पनचान्बे) रूपये वसूलनीय होने के कारण निलंबित किया करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित किया गया था। प्रपत्र–'क' में आरोप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	आरोप/लाछंन का अभिकथन
1	सांसद योजना (योजना संख्या–03/05–06) अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 79,310/– रूपये की राशि का समायोजन बार–बार निदेश दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है और न ही योजना पूर्ण करायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी मनसा सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग करने की है।
2	बी0आर0जी0एफ0 योजना (योजना संख्या–01/08–09) अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 1,85,185/– रूपये की राशि का समायोजन बार–बार निदेश दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है और न ही योजना पूर्ण करायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी मनसा सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग करने की है।
3	एस0जी0एस0वाई0 योजना (योजना संख्या–01/08–09) अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 32,500/– रूपये एवं योजना संख्या–02/08–09 अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 3,56,102/– रूपये की राशि का समायोजन बार–बार निदेश दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है और न ही योजना पूर्ण करायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी मनसा सरकारी राशि गबन एवं दुर्विनियोग करने की है।
4	बारहवां वित्त आयोग योजना (योजना संख्या–01/07–08) अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 87,500/– रूपये एवं योजना संख्या–02/07–08 अन्तर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम में से कुल 87,500/– रूपये की राशि का समायोजन बार–बार निदेश दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है और न ही योजना पूर्ण करायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी मनसा सरकारी राशि गबन एवं दुर्विनियोग करने की है।
5	बार–बार नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के बाद भी न तो योजना पूर्ण करायी गयी और न ही वसूलनीय राशि ही जमा करायी गयी। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया जो इनके स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता का द्योतक है।
6	आपका उपरोक्त, आचरण आपके सरकारी दायित्वों के निर्वाह्‌न में आपकी निष्ठा के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 3(1) द्वारा वर्जित भी है।

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मुंगेर के पत्रांक–84/दिनांक–12.06.2014 के द्वारा श्री तारकेश्वर सिंह, पंचायत सचिव के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संपन्न कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया।

विभागीय कार्रवाई के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रपत्र–'क' में लगाये गए छः आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन दिया गया है।

आरोप प्रमाणित होने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक–316/पं0, दिनांक–02.07.2014 के द्वारा श्री तारकेश्वर सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, द्वितीय कारण पृच्छा में श्री सिंह, पंचायत सचिव के द्वारा सूचित किया गया है कि सांसद योजना संख्या–03/05–06, बी0आर0जी0एफ योजना संख्या–01/08–09 एस0जी0आर0वाई योजना संख्या–01/08–09, 02/08–09 एवं बारहवां वित्त आयोग योजना संख्या–01/07–08, 02/07–08, विभिन्न योजनाओं का अभिकर्त्ता नियुक्त था। पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री सुरेश प्रसाद के मौखिक आदेशानुसार कार्य को पूर्ण कराने हेतु चेक की राशि श्री राज कुमार उर्फ राजू, पूर्व पंचायत समिति को दिया गया। द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है।

द्वितीय कारण पृच्छा के साथ 97868 (सनतानवे आठ सौ अडसठ रूपये) का एन आर की प्रति दी गई है । पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांकः–742/पं0,दिनांकः–17.11.2014 के द्वारा एम0बी0 के अनुरूप लंबित राशि कुलः–552159 रूपये की वसूली हेतु पुनः नोटिस दिया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांकः–1468,दिनांकः–16.07.2015 के द्वारा कुलः–382912 रूपये वसूलनीय होने का प्रतिवेदन दिया गया है । इस कार्यालय के द्वितीय कारण पृच्छा में श्री तारेकश्वर सिंह के द्वारा विभिन्न मदों की कुल छः योजनाओं की राशि सूद समेत वसूली कर ली गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के ज्ञापांकः–1639/ दिनांकः–27.10.2018 के द्वारा (वर्ष 2005–06 से 2008–09 के बीच विभिन्न मदों की कुल छः योजना में कुल 661470 (छः लाख एकसठ हजार चार सौ सतर रूपये) एवं ब्याज की राशि कुल :–82686(बेरासी हजार छः सौ छियासी रूपये की वसूली कर लेने का प्रतिवेदन दिया गया है । इस प्रकार एम0बी0 एंव एन0आर के माध्यम से सभी राशि की वसूली सूद समेत कर लिया गया है ।

अतएव उपरोक्त परिपेक्ष्य के आलोक में श्री तारकेश्वर सिंह, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, धरहरा पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील नियमावली 2005 यथासंशोधित 2007 के नियम 14 के कंडिका (vi) के आलोक में तीन वेतनवृद्धि संचायात्मक प्रभाव से शास्तियॉ अधिरोपित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 09(07) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए संग्रामपुर प्रखंड में पदस्थापित किया जाता है ।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर। 10/12/18

ज्ञापांक 1536 /पं0,दिनांक 31/12/2018

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता,मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर एवं तारापुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/ प्र0वि0 पदाधिकारी, सदर मुंगेर/धरहरा एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री तारकेश्वर सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय धरहरा को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर। 10/12/18